(2)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. खेमचन्द पुत्र सोमोत्या जाति बैरवा निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. बाबू पुत्र सोमोत्या
2. रामस्वरूप पुत्र सोमोत्या
3. बत्तो पत्नि हरि
4. भोलासिंह पुत्र हरि
5. महेन्द्र सिंह पुत्र हरि
6. शेरसिंह पुत्र हरि

   समस्त जातियान बैरवा निवासीयान मातासूला तहसील टोडाभीम।
7. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 33/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट व कृष्ण कान्त मित्तल एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम मातासूला की आराजी ख0न0 1258/0.02, 1259/0.41, 1260/0.15, 1261/0.26, 1262/0.27 कुल किता 5 कुल रकवा 1.11 है0 मे तहसीलदार टोडाभीम मृतक खातेदार हरसहाय पुत्र सोमोत्या हिस्सा 1/4 की विरासत की जॉच कर वारिसान नही होने की दशा मे खातेदार हरसहाय पुत्र सोमोत्या हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी खेमचन्द पुत्र सोमोत्या हिस्सा 1/4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खातेदारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा बदस्तूर रहेगा। एवं उभयपक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.08.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0 न0:– 33 /2024 तारीख...

उनवान:– खेमचन्द बनाम बाबू वगै0

मु0न0:– 33/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक:– 12.04.2024

मु0न0 33/2024

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

1. खेमचन्द पुत्र सोमोत्या जाति बैरवा निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. बाबू पुत्र सोमोत्या
2. रामस्वरूप पुत्र सोमोत्या
3. बत्तो पत्नि हरि
4. भोलासिंह पुत्र हरि
5. महेन्द्र सिंह पुत्र हरि
6. शेरसिंह पुत्र हरि
   समस्त जातियान बैरवा निवासीयान मातासूला तहसील टोडाभीम।
7. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट (वादीगण)

श्री कृष्ण कान्त मित्तल एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1, 2, 4)

निर्णय दिनांक 14.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मातासूला की आराजी ख0न0 1258/0.02, 1259/0.41, 1260/0.15, 1261/0.26, 1262/0.27 कुल किता 5 कुल रकवा 1.11 है0 की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 2 हिस्सा 1/4, तथा प्रतिवादी न0 3 ता 6 प्रत्येक के नाम हिस्सा 1/16 तथा वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 के स्वर्गीय भाई हरसहाय पुत्र सामोत्या के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

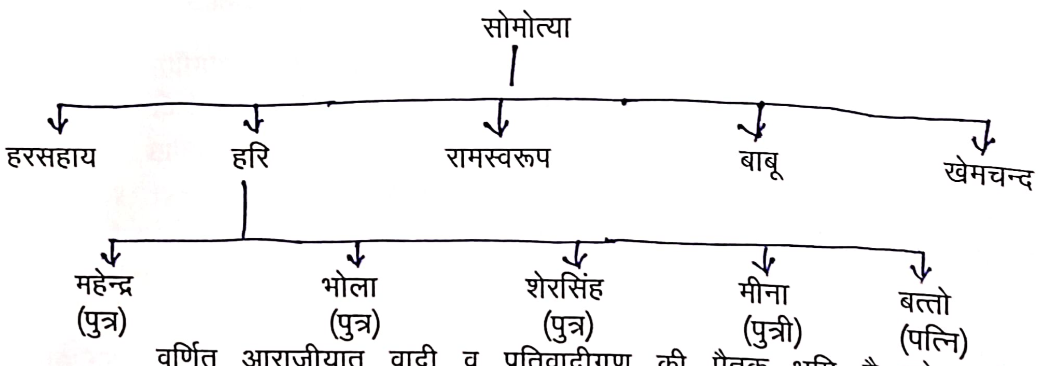

वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जो वादी व प्रतिवादीगण को अपने बुजुर्गो से विरासत मे मिली है। वादी के पिता सोमोत्या के पाच पुत्र कमशः हरसहाय, हरि, रामस्वरूप, बाबू खेमचन्द थे। वादी खेमचन्द सभी भाईयो मे छोटा था।

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

मु0न0– 33/2024 उनवान– खेमचन्द बनाम बाबू वगै0

आज से करीब 50 वर्ष पूर्व सोमोत्या की मृत्यु हो गई थी तब वादी की उम्र कम थी और वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी न0 3 के ससुर एवं प्रतिवादी न0 4 ता 6 के दादा सोमोत्या की मृत्यु के बाद विरासत का जब नामांतकरण स्वीकार हुआ था जो वादी के बडे भाई हरसहाय, हरि, रामस्वरूप, बाबू के नाम खुल गया था जबकि उक्त विरासत नामांतकरण चारो भाई व खेमचन्द के नाम खुलना चाहिये था। वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 के बडे भाई व प्रतिवादी न0 3 के जेठ व प्रतिवादी न0 4 ता 6 के ताउ हरसहाय पुत्र सोमोत्या लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके कायम मुकाम वारिस वादी व प्रतिवादीगण है इसलिये स्वर्गीय हरसहाय पुत्र सोमोत्या की विरासत के आधार पर खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुताबिक हिस्सा होना आवश्यक है इस प्रकार वादी वर्णित आराजी मे 1/4 हिस्से की खातेदारी कराने का अधिकारी है।

बॉका दिनांक 21.03.2024 को वादी अपनी के.सी.सी पत्रावली बनवाने के लिये जमाबन्दी निकलवाने के लिए गया तो वादी को पता चला कि वादी के नाम खातेदारी नही है। इससे पूर्व वादी को इसकी जानकारी नही थी। उसी दिन वादी ने प्रतिवादीगण को खातेदारी कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादी न0 1 ता 6 ने वादी के नाम खातेदारी कराने से इन्कार कर दिया इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 3, 5, 6 बाबवूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1, 2, 4 ने और से श्री कृष्ण कान्त मित्तल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण व वादीगण ने जरिये वकील राजीनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण की पहचान उभयपक्ष वकील द्वारा किये जाने पर राजीनाम तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे मे कथन किया है कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक है, वादी व प्रतिवादीगण मृतक सोमोत्या के वारिसान है वादी वर्णित आराजीया तमे 1/4 हिस्से की खातेदारी कराने का अधिकारी है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः राजीनामा स्वीकार करते हुये वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे खातेदार हरसहाय पुत्र सोमोत्या का नाम हजफ फरमाया जाकर वादीगण को 1/4 हिससे का प्रतिवादी न0 1 को 1/4 व प्रतिवादी न0 2 को हिस्सा 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी न0 3 ता 6 को प्रत्येक 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा वकील उभयपक्षकारान द्वारा दावा स्वीकार किये जाने की सहमति पर पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम मातासूला की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 की आराजी ख0न0 1258/0.02, 1259/0.41, 1260/0.15, 1261/0.26, 1262/0.27 [illegible] ता 5 कुल रकवा 1.11 है0 मे प्रतिवादी न0 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के प्रतिवादी [illegible] ता 6 प्रत्येक 1/16–1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार, तथा खातेदार हरसहाय [illegible] सोमोत्या हिस्सा 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है लेकिन वादी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है, जबकि मृतक सोमोत्या का वारिस होने के कारण खातेदार होना चाहिये था। अतः उभयपक्ष वकील तथा वादीगण व प्रतिवादी न0 1, 2 ता 4 ने मुताबिक दावा व राजीनामा के आधार पर डिकी किये जाने पर सहमति दर्ज करने से, सहमति स्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये जाने, तथा प्रतिवादीगण द्वारा दावा डिक्री किये जाने सहमति पेश की है। उक्त विवेचन अनुसार वादीगण का दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाने से आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम मातासूला की आराजी ख0न0 1258/0.02, 1259/0.41, 1260/0.15, 1261/0.26, 1262/0.27 कुल किता 5 कुल रकवा 1.11 है0 मे तहसीलदार टोडाभीम मृतक खातेदार हरसहाय पुत्र सोमोत्या हिस्सा 1/4 की विरासत की जॉच कर वारिसान नही होने की दशा मे खातेदार हरसहाय पुत्र सोमोत्या हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी खेमचन्द पुत्र सोमोत्या हिस्सा 1/4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खातेदारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा बदस्तूर रहेगा। एवं उभयपक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested